an>

Title: Need to repeal sections 81 and 33 of Delhi Land Reforms Act, 1954.

श्री कैंवर सिंह तँवर (अमरोहा) ः मैं दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 के सेक्शन 81 एवं 33 के कारण दिल्ली के किसानों के उत्पीड़न के बारे में बताना चाहता हूँ। दिल्ली के किसान सेक्शन 81 के कारण अपनी कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि में ग्राम सभा में निहित होने के डर से हमेशा भयभीत रहते हैं। अगर वे उस भूमि पर अपने अथवा माली के रहने के लिए एक कमरा भी बनवा लेते हैं तो पटवारी उसकी जमीन को ग्राम सभा में शामिल करने की धमकी देकर उससे रिश्वत की माँग करते हैं तथा रिश्वत न देने पर उसको सेक्शन 81 के तहत नोटिस दे दिया जाता है और उसकी जमीन को ग्राम सभा में वेस्ट कर दिया जाता है। आज अधिकतर खेतों के बोरिंग जल स्तर नीचे जाने के कारण फेल हो गए हैं तथा नए बोरिंग कराने की अनुमति नहीं है। बिना पानी के खेती कैसे हा सकती है? अगर पानी के अभव में खेत खाली रह जाता है तो भी 81 का नोटिस दे दिया जाता है। यह दोनों ही कानून विरोधाभासी हैं। अगर इसको जारी रखना है तो खेतों में बोरिंग करने की अनुमति दी जाए। तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम के सेक्शन 81 की उपयोगिता काफी हद तक समाप्त सी हो रही है तथा यह मातृ किसानों के उत्पीड़न तथा सरकारी अधिकारियों के भ्रष्टाचार का माध्यम बनकर रह गया है। सेक्शन 33 कहता है कि कोई भी किसान अपनी 08 एकड़ से कम जमीन नहीं बेच सकता है। अगर उसको बेचना है तो पूरी 08 एकड़ जमीन ही बेचनी होगी। आज लाखों किसान ऐसे हैं जिनके पास 08 एकड़ से कम भूमि है।

इस सेक्शन के कारण किसान अपनी संपत्ति को अपनी अत्यंत व्यक्तिगत आवश्यकता जैसे बच्चों की शादी, मकान की मरम्मत अथवा किसी आकस्मिक आवश्यकता के लिए भी नहीं बेच पाता है। अगर कोई अपनी कम जमीन बेचता है तो उसे और पैसे खर्च करने पड़ते हैं क्योंकि उसको सेक्शन 33 के बायपास करने के लिए बाकी की जमीन को अपने बच्चों या अपने परिवार में किसी के नाम करवाना पड़ता है।

अतः मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि दिल्ली के किसानों के इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके सेक्शन 81 तथा 33 को निरस्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।